उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2287842, फैक्स : 0522–2287834
ई–मेल : cecomuppcl@gmail.com
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः– 56 / मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0) / वा0–1/एल.एम.वी.-10   दिनांक / फरवरी, 2 2018

विषय :– उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के सेवानिवृत्त कार्मिकों से पा0का0लि0 के सेवानिवृत्त कार्मिकों की समरूपता में उनके विद्युत संयोजन पर देय विद्युत शुल्क प्रतिमाह अन्तरिम रूप से जमा करने के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता (वा0)
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार
लखनऊ।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 03 / उनिलि / मु0अभि0(वाणिज्य) / एल0एम0वी0–10 दिनांक 04.01.2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.12.2017 को आहूत 173वी0 बैठक में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के समस्त सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा देय विद्युत शुल्क के भुगतान सम्बन्धी लिये गये निर्णय पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में सूचनीय है कि समस्त वितरण निगमों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सेवानिवृत्त कर्मियों की भॉति उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के सेवानिवृत्त कर्मियों का भी विद्युत उपभोग के मद में की जाने वाली कटौती के भुगतान की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है, जिसकी प्रति आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नक : पत्र सं0 25 दिनांक 19.01.18।

(ए0के0 पाठक)
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा

Dy No....70...../UNL/CE(Comml.)
.....02/2/18.....

SE(Comm) / EE (Comm)

03-02-18
CE(Comm)

संजय कुमार सिंह
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –01
E-mail : directorcomm@uppcl.org
Tel No. – (0522) 2287806 (O)
(Fax) – (0522) 2287806
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः– 25 /एच0सी0/टैरिफ/2017–18 LMV-10 दिनांक/जनवरी, 19 2018

विषय :– उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के सेवानिवृत्त कार्मिकों से पा0का0लि0 के सेवानिवृत्त कार्मिकों की समरूपता में उनके विद्युत संयोजन पर देय विद्युत शुल्क प्रतिमाह अन्तरिम रूप से जमा करने के सम्बन्ध में।

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ/लखनऊ/आगरा/वाराणसी।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

महोदय,

कृपया उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्रांक 421/एच0सी0/एल0एम0वी0–10/2016–17/वा0–1 दिनांक 16.11.2016 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के अनुक्रम में यह अवगत कराना है कि निदेश मण्डल, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 की दिनांक 20.12.2017 को सम्पन्न हुई 173वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से यह अनुरोध किया गया है कि पा0का0लि0 की भॉति उ0प्र0 उत्पादन निगम लि0 के भी सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से विद्युत शुल्क जमा कराने हेतु आदेश पा0का0लि0 स्तर से निर्गत किया जाय।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत् यह अवगत कराना है कि कृपया डिस्काम के अन्तर्गत समस्त इकाईयों को उ0प्र0 उत्पादन निगम लि0 के सेवानिवृत्त कार्मिकों से पा0का0लि0 के सेवानिवृत्त कार्मिकों के समरूपता में उनके विद्युत संयोजनों पर देय विद्युत शुल्क के सापेक्ष प्रतिमाह विद्युत शुल्क जमा कराने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु निदेशक मण्डल उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 03/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0–10 दिनांक 04.01.2018 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

Sanjay 18/1/18
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांकः– 25 /एच0सी0/टैरिफ/2017–18/तददिनांक : 19-1-18

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. (ई–मेल) निदेशक (वाणिज्य) पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
4. (ई–मेल) समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण क्षेत्र।
5. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0/आरएपीडीआरपी, पार्ट–ए), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

संलग्नक : यथोपरि।

Sanjay 18/1/18
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (वाणिज्य)